जीवन धर जैन (मृतक) के उत्तराधिकारियों के माध्यम से व अन्य

बनाम

स्टेट ऑफ हरियाणा व अन्य

(सिविल अपील नं. 4365/2008)

जुलाई 14, 2008

(तरूण चटर्जी व आफताब आलम, जे.जे.)

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894- धारा 23, 28 व 34- क्षतिपूर्ति- विनियोग के नियम- उच्च न्यायालय का सिविल रिवीजन साथ ही पुनर्विलोकन आवेदनों में आदेश कि दावेदार कलेक्टर द्वारा जमा कराई गयी राशि को अपने विवेक से विनियोजित करने हेतु अधिकृत नहीं है तथा विनियोग व भुगतान इस न्यायालय द्वारा 'प्रेम नाथ कपूर के मामले में निर्धारित कानून अनुसार किया जाना है- संविधान पीठ के गुरप्रित सिंह के निर्णय में प्रेम नाथ कपूर के मामले के अनुपात निर्णय को मंजूरी दी है- संविधान पीठ के निर्णय में प्रतिपादित की ''लेकिन अगर किसी भी स्तर पर अगर कोई कमी है, तो विनियोग का नियम उस संबंध में उस राशि पर लागू किया जा सकता है''- दावेदार का तर्क कि उच्च न्यायालय द्वारा इस पहलू पर विचार नहीं किया गया- अपील पर, अभिनिर्धारित किया गया कि: गुरप्रित सिंह मामले में संविधान पीठ के फैसले में टिप्पणियों की रोशनी में निर्णय के लिए उच्च न्यायालय को प्रेषित किए।

अपीलार्थीगण- भूमि मालिकों की भूमि हरियाणा विकास प्राधिकरण- हुडा तथा भारतीय खाद्य निगम- एफ.सी.आई. के फायदे हेतु अधिग्रहित की गयी। भूमि अधिग्रहण कलेक्टर ने राशि जमा की। दावेदारों ने निष्पादन न्यायालय के समक्ष आवेदन दायर किये। आवेदन यह मानते हुए स्वीकार किये गये कि दावेदार मुआवजे पर ब्याज प्राप्त करने तथा पहले से भुगतान की गई या न्यायालय में जमा कराई गई

राशि को लागत के लिए, तत्पश्चात् ब्याज के लिए और तत्पश्चात् हरजाने के लिए तथा अन्त में मूल राशि के लिए विनियोग करने हेतु अधिकृत था। हुडा तथा एफ.सी.आई. ने आदेश को पुनरीक्षण याचिका दायर कर चुनौती दी। उच्च न्यायालय के एकल पीठ ने इस न्यायालय द्वारा प्रेम कपूर के मामले में निर्धारित कानून पर निर्भर करते हुए अभिनिर्धारित किया कि दावेदार कलेक्टर द्वारा जमा कराई गयी राशि को अपने विवेक से विनियोजित करने हेतु अधिकृत नहीं है तथा विनियोग व भुगतान इस न्यायालय द्वारा 'प्रेम नाथ कपूर के मामले में निर्धारित कानून अनुसार ही सख्ती से किया जाना है। अपीलार्थीगण ने रिव्यू आवेदन दायर किये। इसलिए उच्च न्यायलय ने वर्तमान अपील आवेदनों को खारिज किया।

तत्पश्चात् इसी प्रकार का मुद्दा जो प्रेम कपूर के मामले में निर्णित किया गया था, तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा इस कोर्ट की संविधानिक पीठ को भेजा गया और गुरप्रीत सिंह के मामले में निर्णीत किया गया।

अपीलार्थीगण- भूमि मालिकों ने संविधानिक पीठ के गुरप्रीत सिंह बनाम् युनियन ऑफ इण्डिया के मामले में टिप्पणी कि, ''लेकिन किसी भी स्तर पर अगर कोई कमी है, तो दावेदार या डिक्रीदार पहले ब्याज और लागत पर और फिर मूल राशि पर विनियोग के नियम लागू कर सकता है, जब तक कि डिक्री अन्यथा निर्देशित ना करे'', पर निर्भर करते हुए तर्क दिया कि प्रेम नाथ कपूर के मामले में विनियोग भिन्न स्तरों पर होने के कारण उचित था, हालांकि यदि एक निश्चित स्तर पर कमी थी, प्राप्तकर्ता-डिक्रीदार विनियोग के सामान्य सिद्धान्त पर सर्वप्रथम ब्याज के लिए तत्पश्चात् लागत के लिए और तत्पश्चात् मूल धन के लिए विनियोग करने हेतु अधिकृत होगा और कि उच्च न्यायालय ने मामले के इस पहलू पर ना तो सिविल रीविजन में या ना ही रिव्यू पिटीशन में विचार किया था, इसलिए इस न्यायालय की संवैधानिक पीठ में दिये गये

उपरोक्त विवेचन की रोशनी में मामले को निस्तारण हेतु निष्पादन न्यायालय को भिजवाना ठीक और उचित रहेगा।

प्रत्यर्थी राज्य ने तर्क दिया कि हालांकि संवैधानिक पीठ के फैसले ने प्रेम नाथ कपूर के मामले को मंजूरी दे दी थी लेकिन इसके अलावा कुछ टिप्पणियां भी की गयी थीं और कि यह ठीक व उचित रहेगा कि इस मामले को निष्पादन न्यायालय में भेजे बगैर इस न्यायालय की संवैधानिक पीठ द्वारा किये गये अवलोकन के प्रकाश में निस्तारण हेतु उच्च न्यायालय को प्रेषित किया जाए, क्योंकि निष्पादन के मामले निष्पादन न्यायालय द्वारा पूर्व में ही निपटा दिए गए है।

अपीलों को स्वीकार करते हुए और मामले को उच्च न्यायालय को प्रेषित करते हुए न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया: किया- रिव्यू पिटीशन को निरस्त करने के उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश को निरस्त किया जाता है तथा मामलों को इस न्यायालय की संवैधानिक पीठ के निस्तारण ''गुरप्रीत सिंह बनाम् युनियन ऑफ इण्डिया'' में दी गयी टिप्पणीयों के प्रकाश में निर्णय के लिए पुनः उच्च न्यायालय को प्रेषित किया जाता है। उच्च न्यायालय विचार करेगा कि क्या संवैधानीक पीठ का निर्णय इन मामलों के तथ्यों व परिस्थितियों पर लागू होगा। (पैरा 6) (977- सी, डी. एवं जी)

'प्रेम नाथ कपूर व अन्य बनाम् नेशनल फर्टिलाईजर्स कारपोरेशन ऑफ इण्डिया व अन्य जे.टी. 1995 (9) एस.सी. 23, ''गुरप्रीत सिंह बनाम् यूनियन ऑफ इण्डिया 2006 (8) एस.सी.सी. 457- संदर्भ लिया गया।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार- सिविल अपील नं. 4365/2008।

पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ के क्रमशः सिविल रिवीजन संख्या 3273 ऑफ 2001, 3275 ऑफ 2001, 3276 ऑफ 2001, 3277 ऑफ 2001, 3278

ऑफ 2001, 3280 ऑफ 2001, 3281 ऑफ 2001 व 3282 ऑफ 2001 के रिव्यू प्रार्थना पत्र संख्या 86-सी-द्वितीय 2002, 87-सी-द्वितीय 2002, 88-सी-द्वितीय 2002, 89-सी द्वितीय 2002, 90-सी-द्वितीय 2002, 91-सी-द्वितीय 2002, 92-सी-द्वितीय 2002 व 93-सी-द्वितीय 2002 में अंतिम निर्णय व आदेश दिनांकित 18.10.2005 से।

प्रदीप कुमार घोष, संजय जैन अपीलार्थीगण की ओर से।

गोविंद गोयल, प्रमोद कुमार व बी.एस.बांठिया प्रत्यर्थीगण की ओर से।

न्यायालय का निर्णय पारित किया गया

तरूण चटर्जी जे. द्वारा

1. अनुमति प्रदान की गई।

2. यह अपील पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ द्वारा सिविल रिवीजन संख्या 3273 ऑफ 2001 में रिव्यू प्रार्थना पत्र संख्या 86-सी-द्वितीय 2002, सी. आर. संख्या 3275 ऑफ 2001 में रिव्यू प्रार्थना पत्र संख्या 87-सी-द्वितीय 2002, सी. आर. संख्या 3276 ऑफ 2001 में रिव्यू प्रार्थना पत्र संख्या 88-सी-द्वितीय 2002, सी. आर. संख्या 3277 ऑफ 2001 में रिव्यू प्रार्थना पत्र संख्या 89-सी-द्वितीय 2002, सी. आर. संख्या 3278 ऑफ 2001 में रिव्यू प्रार्थना पत्र संख्या 90-सी-द्वितीय 2002, सी. आर. संख्या 3280 ऑफ 2001 में रिव्यू प्रार्थना पत्र संख्या 91-सी-द्वितीय 2002, सी. आर. संख्या 3281 ऑफ 2001 में रिव्यू प्रार्थना पत्र संख्या 92-सी-द्वितीय 2002 व सी. आर. संख्या 3282 ऑफ 2001 में रिव्यू प्रार्थना पत्र संख्या 93-सी-द्वितीय 2002 में पारित निर्णय व आदेश दिनांकित 18 अक्टूबर 2005 जिसके द्वारा दावेदारों-भूस्वामियों- अपीलार्थीगण द्वारा संबंधित सिविल रिविजन पिटीशन में प्रस्तुत रिव्यू प्रार्थना पत्रों के समूह का निस्तारण किया गया था, के विरूद्ध पेश की गयी है। 13

सिविल रिवीजन पिटीशंस का समूह विद्वान एकल पीठ द्वारा निर्णय दिनांक 25 अक्टूबर 2001 द्वारा निर्णीत किया गया था। सभी रिवीजन पिटीशंस हरियाणा अरबन डवलपमेंट अथोरिटी, गुड़गांव द्वारा प्रस्तुत की गई थी जिसके लाभ हेतु दावेदारों-भूस्वामियों से सम्बंधित भूमि को अधिग्रहित किया गया था। इसी प्रकार एक 15 सिविल रिवीजन पिटीशंस का समूह उच्च न्यायालय के दूसरी एकल पीठ द्वारा निर्णित किया गया था जो कि फूड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया द्वारा प्रस्तुत की गई थी जिसके लाभ के लिए भूमि अधिग्रहित की गयी थी। इन मामलों में, उच्च न्यायालय के विद्वान एकल पीठ ने सी.आर. नम्बर 2842/2002 में रिव्यू प्रार्थना पत्र संख्या 113-सी द्वितीय/2002 में पारित निर्णय दिनांकित 25 अक्टूबर 2001 में दिये गये सिद्धांत का अनुसरण किया। आदेश दिनांक 20 मई 2001 द्वारा निष्पादन न्यायालय ने दावेदार-अपीलार्थीगण की सी.आर. नम्बर 2842/2002 में रिव्यू प्रार्थना पत्र संख्या 113-सी द्वितीय/2002, यह मानते हुए स्वीकार किया कि वह मुआवजे की राशि पर ब्याज प्राप्त करने की तथा पूर्व में भुगतान की गई या न्यायालय में जमा की गयी राशि को प्रथमतः खर्चे के पेटे तत्पश्चात ब्याज के पेटे और फिर मुआवजे के पेटे तथा अंत में मूल राशि के पेटे विनियोग करने की अधिकारिणी थी। निष्पादन न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 10 मई 2001 को हरियाणा अरबन डवलपमेंट अथोरिटी द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष सिविल रिवीजन पिटीशन संख्या 2842 ऑफ 2001 में चुनौती दी गयी। इसी प्रकार की रिवीजन याचिकाएं अन्य सम्बंधित मामलों में प्रस्तुत की गयी। उच्च न्यायालय के विद्धान एकल पीठ के समक्ष प्रश्नों में से एक प्रश्न निस्तारण हेतु निम्न प्रकार उत्पन्न हुआ -

"क्या दावेदारों / भूस्वामियों को भूमि अधिग्रहण कलेक्टर द्वारा जमा की गयी राशि को अपने स्वविवेक से समायोजन का अधिकार है या उसको अधिनियम की स्कीम के अनुरूप भुगतान किया जाना है"

3. उच्च न्यायालय के विद्धान एकल पीठ ने प्रेम नाथ कपूर व अन्य बनाम् नेशनल फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड व अन्य (जे. टी. 1995 (9) एस.सी. 23) के मामले में इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि पर विश्वास करते हुए निर्णित किया कि दावेदार कलेक्टर द्वारा जमा की गयी राशि को अपने स्वविवेक से विनियोजित करने हेतु अधिकृत नहीं थे तथा भुगतान व समायोजन सक्त रूप से इस न्यायालय द्वारा प्रेमनाथ कपूर के मामले में (सुपरा) निर्धारित कानून के अनुसार ही किया जायेगा। तद्नुसार उपरोक्त प्रश्न का उत्तर अधिग्रहण अधिकारियों के पक्ष में तथा दावेदारों के विरूद्ध दिया गया। वर्तमान रिव्यू आवेदन दावेदारों- अपीलार्थीगण द्वारा विद्वान एकल पीठ के उक्त निर्णय की उपरोक्त प्रश्न के अनुसरण में समीक्षा करने की प्रार्थना करते हुए प्रस्तुत किए गए। रिव्यू प्रार्थना पत्रों को निस्तारण करते

हुए उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश में निम्नलिखित टिप्पणियां कीं -

> *"प्रेम नाथ कपूर के मामले (सुपरा) में उच्चतम न्यायालय द्वारा की गयी उपरोक्त टिप्पणियों के मध्यनजर और मैसर्स इण्डस्ट्रीयल क्रेडिट एवं डवलपमेंट सिंडिकेट में भी इसे देखने के बाद, हम विद्वान एकल पीठ द्वारा अपनाये गये दृष्टिकोण से पृथक कोई भी दृष्टिकोण लेने के इच्छुक नहीं हैं। तथ्यों के अनुसार, विद्वान एकल पीठ ने प्रेमनाथ कपूर के मामले पर विशेष भरोसा किया है और उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार विद्वान एकल पीठ द्वारा व्यक्त किये गये दृष्टिकोण का कोई भी अपवाद नहीं लिया जा सकता है। परिणामतः हम मानते हैं कि भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही में दावेदारों को कलेक्टर द्वारा जमा की गयी राशि को अपने विवेक से विनियोजित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और विनियोजन और भुगतान प्रेमनाथ कपूर के मामले में (सुपरा) इस*

न्यायालय के द्वारा निर्धारित विधि के अनुरूप सख्ती से किया जाना चाहिये। उपरोक्त निर्धारित करते हुए रिव्यू मामलों को खारिज कर दिया गया।''

4. व्यथित होकर दावेदारों- अपीलकर्तागण इस न्यायालय के समक्ष आये और नोटिस जारी किये गये। तत्पश्चात्, समान विवाद जो प्रेमनाथ कपूर के मामले में निर्णीत किया गया था, नामतः गुरप्रीत सिंह बनाम भारत संघ 2003 एस.एल.पी. संख्या 8408 को तीन न्यायाधीशों के द्वारा इस न्यायालय के संविधान पीठ को भेजा गया और अन्ततः संविधान पीठ के समक्ष संदर्भित प्रश्न का निर्णय लिया गया था। गुरप्रीत सिंह बनाम् भारत संघ की रिपोर्ट 2006 (8) बी.एस.सी.सी. 457 में दी गयी। उपरोक्त प्रश्न पर संविधान पीठ द्वारा निर्णय लेने के बाद मामला अब हमारे सामने सुनवाई के लिए आया है। श्री घोष विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता अपीलकर्तागण की ओर से उपस्थित, ने हमारा ध्यान उपरोक्त संविधान पीठ के फैसले के पृष्ठ 478 के पैराग्राफ 36 की ओर आकर्षित किया था, विशेष रूप से इस हिस्से पर, ''लेकिन, अगर किसी भी स्तर पर कोई कमी है तो दावेदार या डिक्रीदार उस राशि के सम्बन्ध में विनियोग नियम को पहले ब्याज़ और लागत के लिये और फिर मूलधन के लिये लागू करने की मांग कर सकता है, जब तक कि डिक्री अन्यथा निर्देश ना दे।''

5. इस अवलोकन पर भरोसा करते हुए श्री घोष ने अभिकथित किया कि प्रेमनाथ कपूर मामले के अनुपात में विनियोग का विभिन्न चरणों में होना उचित था हालांकि यदि किसी विशेष चरण पर कोई कमी थी तो पुरस्कृत- डिक्रीदार को विनियोग के सामान्य सिद्धान्त के अनुरूप पहले ब्याज के लिए फिर लागत के लिये और फिर मूल धन के लिए विनियोग करने हेतु अधिकृत रहेगा जब तक कि, निश्चित रूप से, डिक्रीदार को सूचित करते हुए जमा करते समय देनदार द्वारा निर्दिष्ट मदों के लिए जमा का संकेत नहीं दिया जाता है। इस न्यायालय द्वारा संवैधानिक पीठ में की गई

टिप्पणी पर भरोसा करते हुए, विद्वान अधिवक्ता अपीलकर्तागण की ओर से श्री घोष ने अभिकथित किया कि मामले के इस पहलू पर उच्च न्यायालय द्वारा ना तो सिविल पुनरीक्षण मामले में ना ही रिव्यू याचिकाओं में विचार किया, इस न्यायालय के लिए यह उपयुक्त और उचित होगा कि वह संविधान पीठ के फैसले जैसा कि उपर बताया गया है, में की गयी इस न्यायालय की उपरोक्त टिप्पणियों की रोशनी में मामलों को निष्पादन न्यायालय में निपटान के लिए वापस भेज दें। श्री घोष की इस दलील का उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने विरोध किया और अभिकथित किया कि यद्यपि संविधान पीठ के निर्णय ने प्रेमनाथ कपूर के मामले को स्वीकृति दे दी थी लेकिन इसके अलावा यह टिप्पणी भी की थी कि यह ठीक और उचित होगा कि मामले को निष्पादन न्यायालय के समक्ष भेजे बिना, इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त संविधान पीठ में की गयी टिप्पणीयों के प्रकाश में निस्तारण हेतु उच्च न्यायालय में प्रेषित किया जा सकता है, क्योंकि निष्पादन न्यायालय द्वारा निष्पादन के मामले पहले ही निपटाये जा चुके हैं। हालांकि उच्च न्यायालय संविधान पीठ द्वारा की गयी टिप्पणियों जैसा कि उपर उल्लेख किया गया है, पर भी विचार करते समय वर्तमान मामलों पर लागू होगा।

6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुनने के बाद और संविधान पीठ के फैसले विशेष रूप से उन टिप्पणियों पर, जिन पर पार्टियों के विद्वान अधिवक्तागण ने भरोसा जताया था, गौर करने के बाद हमारा विचार है कि विवादित आदेश निरस्त किया जाए और ऊपर उल्लेखित संविधान पीठ के निर्णय में इस न्यायालय की टिप्पणियों की रोशनी में मामलों को निर्णय के लिए उच्च न्यायालय में वापस प्रेषित किया जा सकता है। तद्नुसार रिव्यू याचिकाओं को खारिज करने वाले उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेशों को अपास्त किया जाता है और ऊपर बताई गयी सीमा तक अपील की अनुमति दी जाती है। उच्च न्यायालय से अनुरोध है कि रिव्यू याचिकाओं पर

यथाशीघ्र निर्णय लिया जाये, अधिमानतः इस आदेश की प्रति की प्रदान करने की तारीख से छह माह के भीतर। यह कहने की आवश्यक्ता नहीं है कि यदि उच्च न्यायालय को लगता है कि रिव्यू याचिकाओं का निस्तारण करते समय, उसके लिए सिविल पुनरीक्षण मामलों को भी लेना उचित होगा तो उच्च न्यायालय पुनरीक्षण में पारित आदेशों को अपास्त मानते हुए उच्च न्यायालय रिव्यू याचिकाओं को लेने के लिए खुला होगा।

7. उपरोक्त कारणों से हम विवादित आदेशों को अपास्त करते हैं और अपील को ऊपर बताई गयी सीमा तक अनुमति दी जाती है। हम यह स्पष्ट कर दें कि हम पक्षकारों द्वारा इस प्रश्न पर दी गयी दलीलों में नहीं गये हैं कि क्या संविधान पीठ का फैसला मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में लागू होगा और यह ऊपर बताये गये तरीके से उच्च न्यायालय द्वारा विचार के लिए रखा जाये। अतः उपरोक्त सीमा तक अपील स्वीकार की जाती है। लागत के रूप में कोई आदेश नहीं होगा।

एन.जे.

स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी मोहितास सिंह पंवार (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।